न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 109/2021 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00463

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1. देवाराम पुत्र तोलाराम 2. हंसाराम पुत्र तोलाराम 3. नैनुबाई पत्नी तलसाजी 4. खीमाराम पुत्र तलसाजी, तमाम अकवाम मेघवाल, निवासी सोनपुरा, तहसील बाली जिला पाली		1. सतीदेवी पत्नी हंसाराम, जाति मेघवाल, निवासी रामनगर, तहसील सुमेरपुर जिला पाली। 2. ग्राम पंचायत एरनपुरा रोड तहसील सुमेरपुर जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :- प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 24.05.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत एरनपुरा द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 07.11.2016, की पालना में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 09.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी 02 द्वारा अप्रार्थी 01 के पक्ष में 200/- फीस प्राप्त कर खुली भूमि का नियमितीकरण का पट्टा जारी किया गया जो अप्रार्थी संख्या 01 ने पुस्तैनी होना बताया इस पर ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 01 के पुत्र मूलाराम जो वार्ड पंच है के प्रभाव में आकर प्रस्ताव लेकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया जो निरस्तनीय है। जैर निगरानी आराजी का पट्टा पूर्व में मिशल संख्या 33/70-71 की पालना में पट्टा संख्या 43 दिनांक 24.12.1971 लच्छा, गेना पुत्र मोती सरगरा के नाम बना हुआ है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। जैर निगरानी पट्टा प्रार्थीगण द्वारा लच्छाराम व गेनाराम पुत्र मोती जाति सरगरा से पंजीयन बेचान दिनांक 26.06.1987 को खरीदशुदा है। उक्त बेचान पंजीयन उप पंजीयक सुमेरपुर के पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 16, पृष्ठ संख्या 26 क्रम संख्या 756/87 पर चस्पा है। पट्टा जारी करने हेतु मौके पर भूमि ही उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी संख्या 01 के पति का रहवासशुदा, खरीदशुदा परिसर दक्षिण की तरफ है। जैर निगरानी पट्टा फर्जी व कूटरचित होने से काबिले खारिज है। लच्छा व गेना के नाम पट्टा संख्या 43 बनाप 75 बाई 60 का बना हुआ है जिसका उत्तरी हिस्सा सकाराम व दक्षिण हिस्सा हंसाराम को बेचान किया गया है जिस पर हंसाराम काबिज है तथा इनके बीच में प्रार्थीगण का खरीदशुदा भूखण्ड है। प्रार्थीगण के बेचाननामें के पृष्ठ संख्या 02 में विवरण दर्ज है। जैर निगरानी आराजी का पूर्व में पट्टा बना हुआ होने के बावजूद उस पर दूसरा पट्टा

जिला कलेक्टर, पाली

जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था। अतः जैर निगरानी प्रस्ताव व पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 01 ने पट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन में अपना पुस्तैनी अधिपत्य बताया है जबकि पुस्तैनी के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है तथा भूखण्ड का नाप नहीं बताया है। जैर निगरानी आराजी के पड़ोस की बेचान रजिस्ट्री प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः जैर निगरानी प्रस्ताव व पट्टा निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 01 ने आवेदन दिनांक 29.08.2016 को पेश किया। जबकि मिशल आवेदन से पूर्व की दिनांक 20.08.2016 को कायम की जाकर आदेशिका लिखी व आवेदन की तारीख को खाली रखा गया। नक्शा फीस व स्थल निरीक्षण जमा नहीं करवाया। दिनांक 05.09.2016 की आदेशिका में मौका किन वार्ड पंच द्वारा देखा गया अंकित नहीं है। आपत्ति पत्र कब जारी किया गया, किस सार्वजनिक स्थल पर किन मौतबिरानों के समक्ष चस्पा किया गया अंकित नहीं है। नोटिस में दिनांक 05.10.2016 अंकित है व 20.10.2016 को गवाहान की सूची पेश करने बाबत् मांग ली गई व आपत्ति नहीं आना बताया व अग्रिम कार्यवाही कर दिनांक 07.11.2016 को पट्टा देने का आदेश पारित कर दिया। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा गवाहन मोहनसिंह व भंवरसिंह के बयान लिये जाकर पट्टा जारी किया है। इन गवाहन द्वारा दिनांक 03.08.2017 को स्टाम्प पर शपथ पत्र तस्दीक करवाकर जैर निगरानी भूखण्ड प्रार्थीगण का होना सशपथ कहा है व पट्टा सतीदेवी का नाम का गलत दिये जाने का सशपथ कथन किया है। अतः जैर निगरानी पट्टा फर्जी व कूटरचित होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 01 सीमा मीणा, जब्बर सिंह सचिव, मूलाराम व अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर संख्या /17 पुलिस थाना सुमेरपुर में जरिये परिवाद धारा 420, 467, 468, 120 बी दर्ज करवाई जो जैर तफ्तीश है। अतः जैर निगरानी प्रस्ताव व पट्टा पंचायती राज नियमों व प्रक्रिया की बगैर पालना किये जारी किया गया है। अतः जैर निगरानी प्रस्ताव व पट्टा निरस्त कराने का आदेश फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने तर्कों की ताईद में न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2017(2)(राज.)668, डीएनजे 2019(2)(राज.) 570, डीएनजे 2009(2)(राज.)982, डीएनजे 1998(राज.)560 पेश की।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि निगरानी में वर्णित नजरी नक्शे के अनुसार जैर निगरानी आराजी (क, ख, ग, घ) जिसको प्रार्थी ने खरीद का आधार बनाया है। प्रमाणित नहीं है। तथा इससे सम्बन्धित रेकर्ड पंचायत में भी उपलब्ध नहीं है। तथा उक्त आराजी के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में दावा किया हुआ है जिसमें अप्रार्थी का जैर निगरानी आराजी पर कब्जा माना है। तथा सिविल न्यायालय की कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार भी अप्रार्थी जैर निगरानी आराजी पर काबिज है। जिस हंसाराम की बात निगरानी प्रार्थना पत्र में की गई है व नजरी नक्शे में दिखाया गया है वो कोई ओर है अप्रार्थीया का पति नहीं है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। पट्टा जारी करते समय रही मामूली प्रक्रियात्मक त्रुटियों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाना उचित नहीं है। अतः जैर निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्त कराने के आदेश फरमावे।

बहस उभयपक्ष सुनीजाकर उस पर गहन मनन किया कि प्रार्थी की निगरानी प्रस्तुत करने का मुख्य आधार यह है कि पूर्व में जैर निगरानी भू–खण्ड का पूर्व पट्टा संख्या 43 दिनांक 24.12.1971 जारी था। उसी पट्टे के आधार पर प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड जैर निगरानी भू–खण्ड को दिनांक 26.06.1987 में लच्छाराम व गेनाराम पुत्र मोती जाति सरगरा से खरीद किया है। इसी भू–खण्ड का सतीदेवी द्वारा अपने पक्ष में पुस्तैनी कब्जे के आधार पर जैर निगरानी पट्टा संख्या 02 दिनांक 09.12.2016 को जारी करवाया गया जो कि नियम विरूद्ध होने से तथा एक ही भू–खण्ड का पूर्व पट्टा प्रभावी रहते हुए नया पट्टा जारी नहीं

जिला कलेक्टर, पाली

किये जा सकने के कारण खारिज योग्य है। उपर्युक्त बिन्दु के संबंध में पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट होती है कि पत्रावली में प्रस्तुत पट्टा संख्या 43 दिनांक 24.12.1971 की फोटो प्रति अपठनीय है तथा न ही प्रमाणित है साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा भी उक्त के संबंध में रेकर्ड उपलब्ध न होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई गई जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद तथ्य प्रमाणित नहीं मानकर एफ.आर. लगा दी, साथ ही न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमेरपुर में जैर निगरानी भू–खण्ड के संबंध में मौका कमिश्नर नियुक्त किया था जिसमें सतीदेवी का कब्जा माना गया है, परन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी भू–खण्ड देवाराम द्वारा दिनांक 26.06.1987 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय से खरीदा गया है (पत्रावली में रजिस्टर्ड विक्रय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है)। जैर निगरानी भू–खण्ड के दक्षिण की ओर लगते हुए भू–खण्ड को सतीदेवी के पति हंसाराम ने भी वर्ष 1981 में पट्टा संख्या 43 दिनांक 24.12.1971 के मालिक लच्छाराम व गेनाराम पुत्र मोती जाति सरगरा से जरिये रजिस्टर्ड बेचान से ही खरीदा है। ऐसी स्थिति में पट्टा संख्या 43 के अस्तित्व को सिरे से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है साथ ही प्रार्थी देवाराम द्वारा जैर निगरानी पट्टे के संबंध में पंचायत स्तर पर प्रक्रियात्मक कमियों का उल्लेख भी अपनी निगरानी में किया है। हस्तगत निगरानी में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए पट्टा संख्या 43 एवं अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 की सत्यता/प्रमाणिकता के संबंध में पंचायत राज. नियम 1996 के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जाँच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आंशिक स्वीकार कर विकास अधिकारी पंचायत समिति सुमेरपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता कि वे दो माह में दोनों पट्टों (पट्टा संख्या 43 दिनांक 24.12.1971 व पट्टा संख्या 02 दिनांक 09.12.2016) के संबंध में रेकर्ड/दस्तावेज व अन्य साक्ष्यों की विस्तृत जाँच करे कि क्या जैर निगरानी भू–खण्ड के संबंध में पट्टा संख्या 43 दिनांक 24.12.1971 को पूर्व में पंचायत स्तर से विधिवत जारी था अथवा नहीं, तथा क्या जैर निगरानी पट्टा संख्या 02 दिनांक 09.12.2016 जारी करते वक्त नियमों–प्रावधानों का ग्राम पंचायत के स्तर से उल्लंघन होना पाया जाता है या नहीं। यदि पंचायत की कार्यवाही में गंभीर अनियमितता पायी जावे जिससे जैर निगरानी पट्टा जारी करने की प्रकिया दूषित हुई हो तो अविलम्ब प्रकरण बनाकर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली